मीरालाल —— राजेश वगैरा 2012/00151

दावा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-11-2021 वकील वादी उप०। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 3-11-2022 को पेश हो।	
3-11-2022 वकील वादी उप०। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

मीठालाल — राजेश वगैरा 2012/0015। (11)

दा०

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-4-2021 वकील वादी उप०। पुन: बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 3-4-2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3-4-2022 वकील वादी उप०। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

(12)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर 1/2012 | तारीख रजू 3.1.2012 | तारीख निर्णय 31-1-2022

1. मीठ्यालाल पुत्र कानजी, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. श्रीफल पुत्र कानजी, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

1. राजेश पुत्र नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. लखन पुत्र नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. सोनू पुत्र नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. समय पुत्र नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. लड्डो नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. सीता पुत्री नत्थू पत्नी ठण्डी खारवाल निवासी जियापुर तह. गंगापुर सिटी
7. पिस्ता पुत्री नत्थू पत्नी मुरारी, खारवाल निवासी गढी सुमेल तह0बामनवास
8. प्रेम पुत्री नत्थू पत्नी पप्पू, खारवाल निवासी कमालपुर तह0 गंगापुर सिटी
9. कल्ली पुत्री नत्थू पत्नी मोहनसिंह, खारवाल निवासी आष्ट्रोली तह0 गंगापुर
10. सीमा पुत्री नत्थू पत्नी गणपत, खारवाल निवासी कमालपुर तह0 गंगापुर
11. मन्जू पुत्री नत्थू पत्नी नत्थू, खारवाल निवासी लहचोडी तहसील बयाना
12. सवाईमाधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी
13. लैण्ड होल्डर/ उप पंजीयन अधिकारी तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी में भूमि ख0नं0 449 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.33 है0 के काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट वादीगण के पिता कानजी रहे हैं। उक्त भूमि का इन्द्राज खातेदारी नत्थू दत्तक पुत्र मांग्या ने गलत रूप से अपने नाम करवा लिया जबकि नत्थू बचपन में ही मांग्या के गोद जा चुका था और मांग्या की चल व अचल सम्पत्ती पर काबिज है। उसका कानजी की अचल व चल सम्पत्ती से कोई वास्ता नहीं है। कानजी के तीन पुत्र हुए हैं जिनमें नत्थू मांग्या के गोद जा चुका है। वादी नं0 1 व 2 कानजी के पुत्र हैं जो कानजी की चल व अचल सम्पत्ती पर काबिज हैं। नत्थू मांग्या के यहां बचपन से ही गोद जा चुका है और उसने अपने आपको कानजी का पुत्र बताते हुए वादग्रस्त भूमि में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस गलत इन्द्राज के कायम रहने से प्रतिवादीगण की नियत में गन्दगी आ गई है और वे भूमि को रहन वय करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण ने

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादीगण को दिनांक 25.12.2011 को धमकी दी कि हमने भू–प्रबन्ध विभाग से वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज करवा लिया है, अब भूमि को बेचेंगे। वादीगण को उनके हक हकूक से महरूम रखेंगे। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण को भूमि ख0नं0 449 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.33 है0 ग्राम दौलतपुर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। इसी अनुसार कागजात लैण्ड रेकार्ड में बहक वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं देवें और ना अन्य किसी से दिलावें न ही भूमि को रहन वय करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 8.1.2014 को श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट उपस्थित हुए। जबाब हेतु समय चाहा। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 29.9.2014 को जबाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई फलस्वरूप प्रतिवादीगण की दिनांक 29.1.2021 को साक्ष्य बन्द की गई एवं प्रतिवादीगण तथा इनके वकील के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 19.7.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 ग्राम दौलतपुर खाता नत्थू पुत्र मांग्या खारवाल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 ग्राम दौलतपुर खाता नत्थू, मीठया, श्रीपाल प्रदर्श–2 पेश किए हैं एवं बयान वादी मीठालाल कराए हैं। इसके अतिरिक्त नत्थू पुत्र मांग्या खारवाल द्वारा भूमि ख0नं0 473 के दि0 5.11.2009 को किए गए बेचान की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 21.12.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि ख0नं0 449, 452 ग्राम दौलतपुर नत्थू, मीठया, श्रीपाल की खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि ख0नं0 157, 442 ग्राम दौलतपुर नत्थू पुत्र मांग्या खारवाल की खातेदारी में दर्ज है। नकल विक्रयपत्र दिनांक 5.11.2009 के अनुसार नत्थू पुत्र मांग्या ने उसकी खातेदारी भूमि ख0नं0 473 का मजहर खान, शाकिर हुसैन को बेचान किया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 21.12.2009 क्रेतागण के नाम खुला है। वादीगण का यह

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स०मा०)

कथन है कि कानजी के तीन पुत्र मीठयालाल, श्रीफल व नत्थू हुए जिनमें नत्थू मांग्या के गोद चला गया व मांग्या की भूमि में नत्थू का नाम दर्ज हो गया परन्तु कानजी की भूमि में नत्थू ने गलत रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि यह भूमि केवल वादीगण के नाम ही दर्ज होनी चाहिए थी। प्रस्तुत अभिलेख नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 के अनुसार नत्थू पुत्र मांग्या खारवाल के नाम पृथक से भूमि की खातेदारी दर्ज है । इस दस्तावेज से वादीगण के कथन की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई लिखित जबाब प्रस्तुत नहीं किया, कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की एवं अन्त में प्रतिवादीगण के वकील बहस हेतु भी उपस्थित नहीं हुए है। ये सब तथ्य वादीगण के कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को भूमि ख0न0 449 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.33 है0 ग्राम दौलतपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि में दर्ज नत्थू पुत्र कानजी का नाम हजफ किया जाकर यह भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

1. मीठ्यालाल पुत्र कानजी, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. श्रीफल पुत्र कानजी, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. राजेश पुत्र नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
2 लखन पुत्र नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. सोनू पुत्र नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. समय पुत्र नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. लड्डो नत्थू, खारवाल निवासी दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. सीता पुत्री नत्थू पत्नी ठण्डी खारवाल निवासी जियापुर तह. गंगापुर सिटी
7. पिस्ता पुत्री नत्थू पत्नी मुरारी, खारवाल निवासी गढी सुमेल तह0बामनवास
8. प्रेम पुत्री नत्थू पत्नी पप्पू, खारवाल निवासी कमालपुर तह0 गंगापुर सिटी
9. कल्ली पुत्री नत्थू पत्नी मोहनसिंह, खारवाल निवासी आष्ट्रोली तह0 गंगापुर
10.सीमा पुत्री नत्थू पत्नी गणपत, खारवाल निवासी कमालपुर तह0 गंगापुर
11.मन्जू पुत्री नत्थू पत्नी नत्थू, खारवाल निवासी लहचोडी तहसील बयाना
12.सवाईमाधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी
13.लैण्ड होल्डर/ उप पंजीयन अधिकारी तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –1/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ....एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को भूमि ख0नं0 449 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.33 है0 ग्राम दौलतपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि में दर्ज नत्थू पुत्र कानजी का नाम हजफ किया जाकर यह भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31-1-2022 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)